

अर्थीगण  
नामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी: श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

- प्रार्थी
- बालीदेवी पत्नी हुकमाराम 2 डालूराम पुत्र भूराराम 3 निम्बाराम पुत्र भूराराम 4 नैनराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर

- बनाम विप्रार्थीगण
- देवाराम पुत्र उदाराम 2 उगाराम पुत्र गोकलाराम 3 जुगताराम पुत्र गोकलाराम 4 पदमाराम पुत्र गोकलाराम 5 पूनमाराम पुत्र गोकलाराम 6 अर्जुनराम पुत्र अचलाराम 7 धर्मी पत्नी अचलाराम 8 चेतनराम पुत्र जोराराम 9 चैनाराम पुत्र जोराराम 10 पारुदेवी पत्नी जोराराम 11 दौलाराम पुत्र गंगाराम 12 डूंगराराम पुत्र गंगाराम 13 धापूदेवी पत्नी गंगाराम 14 जगमालराम पुत्र जोधाराम 15 मेहराराम पुत्र केंसराराम 16 जसराराम पुत्र केंसराराम 17 हीरोंदेवी पत्नी केंसराराम 18 खेराजराम पुत्र सोनाराम 19 खेमाराम पुत्र सोनाराम 20 कानाराम पुत्र सोनाराम 21 दीपाराम पुत्र मुकनाराम 22 खेमाराम पुत्र सताराम 23 नगाराम पुत्र सताराम 24 अचलाराम पुत्र मेहराराम 25 इमियोदेवी पत्नी तिलोकाराम 26 आदूराम पुत्र तिलोकाराम 27 गोमाराम पुत्र हिमताराम 28 खेमाराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-23/2022 दिनांक-02.03.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुखों का तला पटवार हल्का सरली तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1072/966 रकबा 43.03 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूमये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SP) बाड़मेर  
दिनांक- 02/03/2022

क्रमांक/रीडर/2022/ 75-78

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

- तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
- पटवारी सरली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- प्रार्थी 1. बालीदेवी पत्नी हुकमाराम 2 डालूराम पुत्र भूराराम 3 निम्बाराम पुत्र भूराराम 4 नैनराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर
- विप्रार्थी 1 देवाराम पुत्र उदाराम 2 उगाराम पुत्र गोकलाराम 3 जुगताराम पुत्र गोकलाराम 4 पदमाराम पुत्र गोकलाराम 5 पूनमाराम पुत्र गोकलाराम 6 अर्जुनराम पुत्र अचलाराम 7 धर्मी पत्नी अचलाराम 8 चेतनराम पुत्र जोराराम 9 चैनाराम पुत्र जोराराम 10 पारुदेवी पत्नी जोराराम 11 दौलाराम पुत्र गंगाराम 12 डूंगराराम पुत्र गंगाराम 13 धापूदेवी पत्नी गंगाराम 14 जगमालराम पुत्र जोधाराम 15 मेहराराम पुत्र केंसराराम 16 जसराराम पुत्र केंसराराम 17 हीरोंदेवी पत्नी केंसराराम 18 खेराजराम पुत्र सोनाराम 19 खेमाराम पुत्र सोनाराम 20 कानाराम पुत्र सोनाराम 21 दीपाराम पुत्र मुकनाराम 22 खेमाराम पुत्र सताराम 23 नगाराम पुत्र सताराम 24 अचलाराम पुत्र मेहराराम 25 इमियोदेवी पत्नी तिलोकाराम 26 आदूराम पुत्र तिलोकाराम 27 गोमाराम पुत्र हिमताराम 28 खेमाराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी लुखों का तला, सरली तहसील व जिला बाड़मेर

Copy 133  
Bansari

उपखण्ड अधिकारी (SP) बाड़मेर